संख्या-66/2015/192जेपीआर/22-3-15-800(149)/2011

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी सूर्य प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद, निवासी-एम0एल0आई0जी0-2/210, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, थाना-गुडम्बा, जिला-लखनऊ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी सूर्य प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद, निवासी-एम0एल0आई0जी0-2/210, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, थाना-गुडम्बा, जिला-लखनऊ को शासनादेश संख्या-21/1855जेएल/22-3-14-800(149)/2011, दिनांक 19-09-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-66/2015/192जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in